<u>कार्य विभाजन पत्रक सिविल जिला सीधी वर्ष–2025</u>
द्वितीय संशोधित

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी

:: विविध–आदेश ::

क्रमांक– 45 / एक–5–3 / 88 सीधी, दिनांक– 08 / 4 / 2025

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 636 / गोप. / 2025 जबलपुर दिनांक 27.3.2025 से श्रीमती रेनू श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सीधी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश एवं रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 638 / गोप. / 2025 जबलपुर दिनांकित 27.3. 2025 से सुश्री वैशाली बडेरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, चुरहट का स्थानांत. रण होने से एवं उनके स्थान पर किसी न्यायाधीश की पदस्थापना न होने से उक्त दोनो न्यायालय रिक्त है तथा रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 642 / गोप. / 2025 जबलपुर दिनांक 27.03. 2025 द्वारा सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मझौली एवं श्री कपिलदेव काछी, द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी एवं सुश्री सरिता चौधरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीधी की रिक्त न्यायालय में पदस्थापना होने से मैं, प्रयाग लाल दिनकर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी, मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधि ानियम 1958 की धारा–15 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 06 दिनांक 15.01.2025 की कण्डिका 8 के कॉलम क्रमांक 3 में तहसील मझौली एवं कण्डिका 9 के कॉलम 3 में तहसील कुसमी तथा कण्डिका क्रमांक 10 को विलोपित कर कण्डिका 8 के कॉलम क्रमांक 3 में तहसील गोपदबनास प्रतिस्थापित की जाती है तथा तहसील मझौली में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड की पदस्थापना होने से उक्त न्यायालय की क्षेत्राधिकार होने से कण्डिका 19 प्रतिस्थापित की जाती है तथा उसके कॉलम नं. 3 में तहसील मझौली एवं कुसमी प्रतिस्थापित की जाती है तथा कण्डिका क्रमांक 11 के कॉलम क्रमांक 3 में तहसील गोपदबनास को विलोपित कर कण्डिका 20 प्रतिस्थापित कर कॉलम क्रमांक 3 में तहसील गोपदबनास तथा कण्डिका 21 प्रतिस्थापित किया जाता है, तथा विविध आदेश क्रमांक 7 दिनांक 16.01.2025 के अनुक्रम में कण्डिका 14 को विलोपित कर तथा कॉलम क्रमांक 3 एवं 4 को कण्डिका क्रमांक 15 के कॉलम क्रमांक 3 व 4 में प्रतिस्थापित की जाती है।

अतः उपरोक्तानुसार विविध कार्य विभाजन विविध–आदेश क्रमांक 6 दिनांक 15.1. 2025 एवं कार्य विभाजन विविध आदेश क्रमांक 7 दिनांक 16.1.2025 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है जो दिनांक 08.04.2025 से प्रभावशील होगा :–

क्रमांक	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार
1	2	3	4
19	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मझौली	तहसील कुसमी एवं मझौली	1. वे समस्त प्रकरण जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रूपये से अधिक व एक करोड़ रूपये मूल्य तक के सिविल वाद।

			3. रूपये 500/– तक के लघुवाद प्रकरण। 4. भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख/–रू. से अधिक व एक करोड़ रूपये मूल्य तक के सिविल वाद। 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रकरण। 6. पांच लाख रूपये से अधिक व एक करोड़ रूपये से कम मूल्य के अपकृत्य विधि के तहत मामले। 7. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139(1) तथा 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 8. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
20	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीधी	तहसील गोपदबनास	1. वे समस्त प्रकरण, जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रूपये मूल्य तक के सिविल वाद। 3. पांच लाख रूपये मूल्य तक के अपकृत्य विधि से उत्पन्न मामले। 4. पांच लाख रूपये तक के भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत सिविल मामले। 5. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
21	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीधी	–––	1. ऐसे समस्त प्रकरण जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।

:: चार्ज प्रभार ::

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम अधिकृत न्यायाधीश	कॉलम क. 3 के न्यायाधीश की अनुपलब्धता पर द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश
1	2	3	4
1.	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खण्ड सीधी	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी ।	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी
2.	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खण्ड सीधी	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी
3.	सिविल जज वरिष्ठ खण्ड मझौली	सिविल जज कनिष्ठ खण्ड मझौली	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड सीधी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त सिविल जज सीधी.

(प्रयाग लाल दिनकर)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक– 1132/एक–5–3/88 सीधी, दिनांक– 08/04/2025

यथा निर्देशित–

1. समस्त न्यायालय सीधी/मझौली/चुरहट।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सीधी/मझौली ।
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग सीधी की ओर इस न्यायिक स्थापना की वेवसाइट/समस्त संबंधितों की ईमेल आई.डी. पर अपलोड कराए जाने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)